

आयालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

रामभरोड़ी

बनाम इन्दर

मु.नं. 141/21

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

डि. 6/1/22

पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी स. 02
उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा.पत्र धारा
11 व 12 जा.दी. एवं पूर्वानुसार तलबी होकर
दिनांक 03.01.22 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

जुष्टिस मति

डि. 03.01.22

पत्रावली पेश हुई। वादीगण तथा
प्रतिवादीगण को आवाज लगाई गई। प्रतिवादी स.
02 उपस्थित हुआ व प्रतिवादी गण संख्या 01 से
04 की ओर से उग्रभिभाषक श्री मुकेश सिंह
द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। वादीगण
की ओर से बार-2 आवाज लगाने के
बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। इससे
ऐसा प्रतीत होता है कि वादीगण अपने
पापपत्र के प्रति गंभीर नहीं हैं तथा
वाद की आगे चलाने नहीं चाहते हैं।
अतः वादी का वाद अदम- हाजरी अदम-
पैली में खातीज किया जाता है। पत्रावली
फैसल सुमार नम्बर से कम की
जानर बाद तकमील दारिल्ल दफतर
है।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

जुष्टिस मति